तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र बाबत :– ऑडर 039 नियम 1 व 2 सीपीसी मुकदमां नम्बर 2019/00230 बअनुवानः– रणजीतसिंह बनाम भंवरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ

पीठासीन अधिकारी
श्री बलबीर सिंह, आर.ए.एस.

उपस्थिति –

श्री अरूण कुमार माथूर , अधिवक्ता प्रार्थी

–: आदेश :–

दिनांक :– 31.01.2024

वकील प्रार्थी ने इसी अनुवान वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम आजवा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 290, 291 कुल रकबा 4.57 हैक्टयर भूमि आयी हुई है। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। जिसके चारो ओर डोल खन्दक तारबन्दी वर्षो पूर्व से की हुई है जिसमें प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारो का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के पूर्वी ओर खसरा नम्बर 293 स्थित है उक्त भूमि कृषि भूमि है लेकिन बगैर भू–रूपान्तरण करवाये अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की भूमि में अतिक्रमण कर निर्माण कर रहे है मौके पर अप्रार्थीगण ने नीवे खोदकर नीचे भरना प्रारम्भ कर दिया एवं टीनशेड स्थापित कर दिया। प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है तथा प्रार्थी के जायन्दा पुत्र नहीं हाने से के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी को लगातार तंग परेशान कर रहे है प्रार्थी को भूमि का विक्रय करने का दबाव बना रहे है। प्रार्थी को परेशान करने की नियत से प्रार्थी की खातेदारी भूमि की खन्दक को खुर्द बुर्द कर रहे है मिट्टी हटा रहे तथा खन्दक तोड़कर अपने पशुओं को प्रार्थी की भूमि छोड़ कर फसल को क्षति पहुँचाने का प्रयास कर रहे है। प्रार्थी की तारबन्दी को जगह – जगह से काट दिया है अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ मारपीट करने एवं जान से मारने पर उतारू होने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना पीलवा में भी रिपोर्ट दर्ज करवायी है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द करने के बावजूद नाजायज रूप से प्रार्थी को तंग व परेशान करते आ रहे है। जिससे मजबुरन प्रार्थी का न्यायालय के पास आना पड़ा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थी के पेड़ पौधे एवं डोल खन्दक को क्षति नहीं पहुंचाने व जबरन अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 06.09.2021 को अप्रार्थीगण के नोटिस विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम आजवा की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अनुसार खसरा नम्बर 290, 291 कुल रकबा 4.57 हैक्टयर भूमि रणजीतसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है, उक्त भूमि प्रार्थी स्वंय रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, अन्य कोई सह खातेदार नहीं है। प्रार्थी 75 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति है जिसके कोई वारिसान नहीं है प्रार्थी की खातेदारी के पूर्वी तरफ 293 अप्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि है, जिनके द्वारा बार – बार प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि को खुर्द – बुर्द किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी को अपनी भूमी के उपयोग उपभोग करने में परेशानी हो रही है, प्रार्थी की भूमि के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण को दखल करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग सुरक्षित रूप से करने का कानूनन अधिकार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से तंग व परेशान होकर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है जिसके निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञ से पाबन्द करने का निवेदन किया है। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा वृद्ध व्यक्ति है, जिसके वारिसान भी नहीं है, जिसकी खातेदारी भूमि पर जबरन अप्रार्थीगण कब्जा करने पर आमादा है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला (प्राइमा फेसी केस), अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18.11.2019 तावाद फैसला पुख्ता किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायलाय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर